

नदियों में बढ़ता हुआ प्रदूषण

1144. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ख) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोक पाने में पूर्णतः असफल रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?;

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज):

(क) और (ख) नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए नदी कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य नदियों के किनारे स्थित बड़े शहरों से उत्पन्न सीवेज तथा नदी में बिना जले/ऑक्सीकृत रूप से जल शबों को फेंकने एवं खुले में शौच के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थलों से हुए रन-आफ जैसे अन्य गैर-बिन्दु स्रोतों से होने वाले नदी प्रदूषण को कम करना है। उद्योगों के बहिःस्त्राव से होने वाले प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण वर्तमान पर्यावरण कानूनों के अन्तर्गत की जाती है। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1985 में 25 शहरों में गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से 251 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं तथा अब तक 447.54 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। गंगा नदी तथा यमुना, गोमती एवं दामोदर जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे स्थित अतिरिक्त शहरों को शामिल करने के लिए गंगा कार्य योजना के चरण-II का शुभारंभ किया गया है। यह योजना अप्रैल, 1993 से अक्टूबर, 1996 के बीच चरणों में अनुमोदित की गई थी तथा इसमें 5 राज्यों में 4 नदियों के किनारे स्थित 95 शहरों को शामिल किया गया है। गंगा कार्य योजना चरण-II की 1281.17 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत में से अब तक 167.95 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। अन्य प्रदूषित नदियों को शामिल करने के लिए 10 राज्यों में 18 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित 46 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य के लिए 772.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन जुलाई, 1995 में किया गया था। इस योजना

के अंतर्गत अब तक 31.43 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत 68 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों का अधिनियम किया गया है तथा इनकी निगरानी की जा रही है। इन उद्योगों में से 45 उद्योगों ने बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा शेष 23 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को उन दोषी उद्योगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जो नदियों और झीलों में अपना बहिःस्त्राव सीधे निस्तारित कर रहे हैं तथा निर्धारित विस्तारण मानकों का अनुपालन करने के लिए 3 माह का समय देने अथवा ऐसा न करने पर बंद करने के संबंध में नोटिस जारी करने को कहा गया है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए धन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के सामने कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। गंगा कार्य योजना चरण-II तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक अन्य कार्यक्रमों का इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है।

Ayurvedic Medicinal Plants

1145. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a communication from Ayurvedic Drugs Manufacturers' Association demanding a review of the list of various varieties of Ayurvedic Medicinal Plants banned for export;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision, if any, taken by Government after the review is made?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes Sir. The Ayurvedic Drugs Manufacturers' Association had been requesting for allowing the export of formulations made from 18 plants obtained from the wild, which are included in the prohibited list of export.

(c) To resolve this matter, an inter-departmental committee was constituted by this Ministry. Based on the recommendations of the committee export of formulations of the said species by the exporters was allowed for a period of 90 days from 28.8.1997 to clear the existing stock of formulations. Further extension of time upto 31 March 98, by which time the revised Export-Import Policy will become effective, is also being considered. In addition, the Botanical Survey of India has been asked to carry out review of the status of the 53 plants, which have been put on the negative list of exports, in consultation with all concerned and make specific recommendations in the matter.

Liquor Addiction at Vishwa Bharati

1146. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Vishwa Bharati at Shantiniketan has become liquor addict in violation of the founding father Maharishi Robindranath Tagore's ban on flesh foods and alcoholic drinks, as appeared in *The Statesman*, dated 22.9.1997;

(b) if so, whether Government propose to do anything about it; and

(c) if so, the details thereof and by when;

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) The University has contradicted the contents of the news-item, in question.

(b) and (c) Do not arise.

Objectionable References in Text Books

1147. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that some text books prescribed for schools in Jammu and Kashmir and in

other States contain objectionable references hurting patriotic sentiments of Indian Republic;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken/proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Defects in Current Examination System

1148. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have convened meetings of educationists and educational institutions like UGC, NCERT to discuss ways and means for removal of defects in the current examination systems;

(b) if so, the brief details of the suggestions made;

(c) the decision taken on the acceptable suggestions; and

(d) the brief details of unaccepted suggestions and reasons for their non-acceptance?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (d) A meeting was convened on 27th June, 1997 to discuss various issues including those relating to examination reforms in the Secondary Education Sector. Some Members of Parliament, Heads of educational institutions and Principals of a few schools were among those who participated in the meeting. As a follow up of the discussions held in the meeting, a Working Group has been constituted for bringing about transparency in examinations and evaluation. The Group is yet to submit its report.